

यूसीबी द्वारा निवल मूल्य की गणना

अनुबंध-1

| क्र.सं. | विवरण | राशि (रु. करोड़) |
|--------------|--|---------------------|
| 1 | मतदान की शक्तियां रखने वाले नियमित सदस्यों से एकत्रित चुकता शेयर पूँजी | |
| 2 | सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) | |
| 3 | नाममात्र/सहयोगी सदस्यों से प्राप्त योगदान जहां उप-नियम उन्हें शेयरों के आवंटन की अनुमति देते हैं और बशर्ते कि ऐसे शेयरों की निकासी पर प्रतिबंध हों, जैसा कि नियमित सदस्यों पर लागू होता है | |
| 4 | नाममात्र और सहयोगी सदस्यों से एकत्रित योगदान/ गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क जो एक उपयुक्त मद के तहत 'आरक्षित' के रूप में अलग रखा जाता है क्योंकि ये वापसी योग्य नहीं हैं। | |
| 5 | "बिल्डिंग फंड", कैपिटल रिजर्व आदि सहित मुफ्त भंडार लैकिन पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर। निःशुल्क भंडार में उन सभी भंडारों/प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा जो प्रत्याशित ऋण हानियों, धोखाधड़ी आदि के कारण होने वाले नुकसान, निवेश और अन्य परिसंपत्तियों में मूल्यहास और अन्य बाहरी देनदारियों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। | |
| 6 | एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में निवेश के निर्धारित 5% से अधिक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) ⁶ | |
| 7 | लाभ और हानि खाते में क्रेडिट शेष राशि, यदि कुछ है तो | |
| कटौती | | |
| 8 | लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष राशि, यदि कुछ है तो | |
| 9 | अन्य बातों के साथ-साथ, आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) सहित सभी अमूर्त आस्तियां | |

⁶ सहकारी बैंकों द्वारा निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) के निर्माण पर दिशानिर्देशों के लिए कृपया [दिनांक 1 अप्रैल 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक \(प्राथमिक \(शहरी\) सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन\)](#) देखें।

नोट:

1. टियर 1 पूंजी में शामिल परपेचुअल डेट इंस्ट्रमेंट्स और टियर 2 पूंजी में शामिल डेट कैपिटल इंस्ट्रमेंट्स के जरिए जुटाई गई रकम को निवल मूल्य के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए।
2. टियर 2 पूंजी में शामिल सतत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस), भुनाने योग्य गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) और भुनाने योग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस) को निवल मूल्य के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
3. निवल मूल्य की गणना में कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया जाना चाहिए।